भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-993

उत्तर देने की तारीख-02/12/2024

केंद्रीय एजेंसियों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक

993. श्री इमरान मसूद:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा आयोजित परीक्षाओं में पेपर लीक का कोई रिकॉर्ड है, यदि हां, तो विगत 10 वर्षों में पेपर लीक हुए ऐसे मामलों का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या देश में हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) परीक्षाओं में कुप्रबंधन और परिणामों में कथित हेराफेरी की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और
(ग) क्या सरकार ने विशेषकर सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) और एनईईटी परीक्षाओं के पश्चात कुप्रबंधन की शिकायतों में वृद्धि के कारण राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) के कार्यकरण की कोई जांच कराई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भर्ती के साथ-साथ प्रवेश के लिए विभिन्न निकायों द्वारा प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं। मंत्रालय में परीक्षा से संबंधित विशिष्ट घटनाओं के बारे में डेटा केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं।

नीट (यूजी) 2024 परीक्षा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा दिनांक 5 मई 2024 को आयोजित की गई थी। नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के आयोजन के बाद, कथित अनियमितताओं/धोखाधड़ी/कदाचार के कुछ मामले सामने आए। शिक्षा मंत्रालय ने केंद्रीय जांच ब्यूरो को नीट (यूजी) 2024 परीक्षा के संबंध में षडयंत्र, धोखाधड़ी, विश्वासघात आदि सहित

कथित अनियमितताओं के पूरे मामले की व्यापक जांच करने को कहा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने डब्ल्यूपी (सिविल) 335/2024 और संबंधित मामलों में 2 अगस्त, 2024 के निर्णय के तहत पैरा 84 में कहा है कि "इसलिए, वर्तमान में पर्याप्त सामग्री रिकॉर्ड में नहीं है जो एक प्रणालीगत लीक या अन्य रूपों के प्रणालीगत कदाचार का संकेत देती है। वर्तमान में, रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री इस आरोप की पुष्टि नहीं करती है कि व्यापक कदाचार किया गया है जिससे परीक्षा की सत्यनिष्ठा प्रभावित हुई। इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 23 जुलाई, 2024 के पूर्व आदेश के अनुपालन में, नीट (यूजी) 2024 परीक्षा का संशोधित परिणाम 26 जुलाई, 2024 को घोषित किया गया है।

एनटीए द्वारा परीक्षाओं के पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए प्रभावी उपाय सुझाने के लिए, शिक्षा मंत्रालय ने दिनांक 22.06.2024 को डॉ. के. राधाकृष्णन, पूर्व अध्यक्ष इसरो और आईआईटी कानपुर के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति (एचएलसीई) का गठन किया। समिति ने दिनांक 21.10.2024 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है और एनटीए को मजबूत बनाने, राज्यों के साथ संस्थागत संबंध, ज्ञान और परीक्षा भागीदार के रूप में टेस्ट इंडेंटिंग एजेंसियों की भागीदारी आदि सहित राष्ट्रीय सामान्य प्रवेश परीक्षा में सुधार की सिफारिश की है। समिति ने एनटीए पर एचएलसीई की सिफारिशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक उच्च अधिकारप्राप्त संचालन समिति के गठन की भी सिफारिश की है। मंत्रालय द्वारा 14 नवंबर, 2024 को उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति का गठन किया गया है।

*****